न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:– 6/2017

दायर दिनांक:– 14.02.2017

1– कानाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डेरोली तह.जायल जिला नागौर।

........................प्रार्थी

बनाम

1– भंवरलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी डेरोली तह.जायल जिला नागौर।
2– सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा 251 (ए) RT Act.

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.02.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम डेरोली का निवासी है ग्राम डेरोली के खेत खसरा नम्बर 50/253 रकबा 11 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है। जिस के उत्तरी दिशा में खेत खसरा नम्बर 50/252 अप्रार्थी का खेत आया हुआ है। जिस के उत्तरी दिशा में कटाणी रास्ता है। मुझे मेरे खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के अनुशार चौडाई मे 10 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 50/253 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी सं. 01 का उक्त रास्ते बाबत कहने पर मना करने पर प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से मुझे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा डेरोली के खसरा नम्बर 50/252 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से बी पर 10 फुट चौडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

12.2.18
उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

प्रमाणित प्रतिलिपी
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 को समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के भेजा गया भेजे गये समन की दुसरी प्रति मय रसीद के पत्रावली में उपलब्ध है करीब 10 माह बाद भी न तो अप्राथी स. 01 न्यायालय में उपस्थित हुआ ओर न ही अपार्थी की ओर से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ इसलिये अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./2017/4426 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी को मौजा डेरोली के खेत खसरा नम्बर 50/252 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा किस्म बा.1 में से नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 10 फुट चोडा रास्ता दिया जाना उचित है जिस का रकबा 03 बिस्वा 15 बिस्वांसी बनता है तथा डी.एल.सी रेट से 46886 रू. राशि बनती है खेत खसरा नम्बर 50/252 प्रार्थी के खेत खसर नम्बर 50/253 के चिपता ही खेत है इसलिये रास्ता देने की अभिशंषा की जाती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा डेरोली के खसरा नम्बर 50/252 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा किस्म बा.1 में से रकबा 03 बिस्वा 15 बिस्वांसी माफिक नजरी नक्शा के मार्क अ से बी के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि प्रार्थी से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रार्थी से ली जाने वाली राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 01 को करें। अप्रार्थी की भूमि एस बी बी जे, कसनाऊ के मुर्तहीन है। रास्ते के लिये बहुत की कम भूमि अर्थात 03 बिस्वा 15 बिस्वांसी ही घाषित की गयी है जिस का बैंक की वसूली पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडता है। तहसीलदार जायल को निर्णय की पलना हेतु तहरीर जारी हो।

12.2.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12.2.18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) जायल

प्रमाणित प्रतिलिपी
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM

नक्शा किश्तवार
ग्राम डेरोली
तहसील जायल

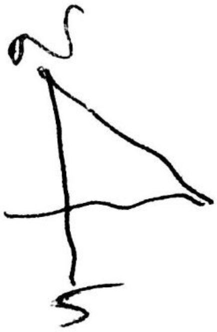

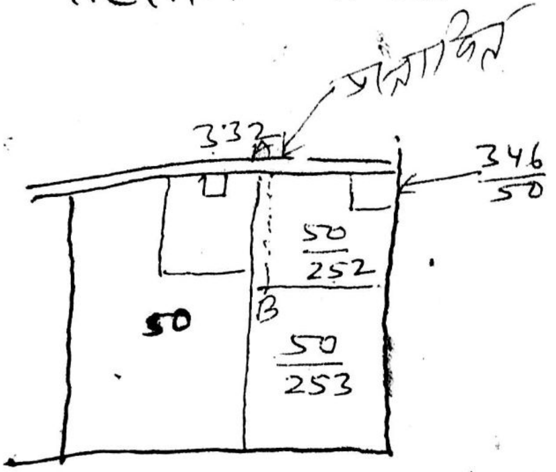

सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) जायल

सरकारी कार्य हेतु
निशुल्क नकल दी गई -

उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

प्रमाणित प्रतिलिपी
आज्ञा से रीडर
सहायक कलेक्टर SDM

Scanned by CamScanner